(4)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 02/2019–20

जीवन प्रसाद मंडल.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

अखिल प्रसाद मंडल.....विपक्षी

आदेश

17.12.2021

यह रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–48/2013–14 में पारित आदेश दिनांक–31.12.2018 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

1. मौजा कुरमा अंचल सरैयाहाट प्रधानी मौजा है एवं अपीलकर्त्ता के पिता–स्व0 लखी मंडल उक्त मौजा के प्रधान थे, जिनकी नियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–567/1911 आदेश दिनांक–29.09.11 द्वारा हुई थी।

2. नियुक्ति के समय अपीलकर्त्ता के पिता नावालक (Minor) थे। इसलिए संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के अनुसार उनके चाचा गोविन्द मंडल को सरबरकार नियुक्त किया गया।

3. गोविन्द मंडल के मृत्यु के पश्चात् उनके पौत्र वासुदेव मंडल धोखे से अपीलकर्त्ता के पिता को प्रधान पद से हटाकर स्वयं प्रधान बन गये।

4. बासुदेव मंडल की मृत्यु के पश्चात् उनके द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–06 के अन्तर्गत मौजा के प्रधान पद पर अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। इस पर अंचल अधिकारी, सरैयाहाट से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त की गई, किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता को सुने बिना ही उत्तरकारी को प्रधान पद पद नियुक्त किया गया जो न्याय संगत नही है।

अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

(5)

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

1. उत्तरकारी के दादा गणपत मंडल मौजा कुरमा के प्रधान थे, जिनकी नियुक्ति की सम्पुष्टि बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा किया गया है। उनके मृत्यु के पश्चात् आवेदक के पिता वासुदेव प्रसाद मंडल अनुमंडल पदाधिकारी के पी0ए0 वाद सं0–111/1957–58 के आदेश दिनांक–10.10.58 द्वारा प्रधान नियुक्त हुए जिनकी स्वीकृति उपायुक्त संथाल परगना के द्वारा दिनांक–14.01.59 को दी गई है।

2. उपायुक्त संथाल परगना दुमका के रे0मि0 पी0 वाद सं0–30/1958–59 में पारित आदेश दिनांक–14.04.59 द्वारा वासुदेव मंडल की नियुक्ति को स्वीकृति देते हुए अपीलकर्त्ता के पिता–लखी मंडल के दावों को अस्वीकृत किया गया है।

3. वासुदेव मंडल के मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र उत्तरकारी संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–06 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है, जो सही है।

अतः अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी द्वारा अपने समर्थन में –

1. गेंजर सर्वे के ए0मिसील मौजा–कुरमा–किता नं0–33 की प्रधान नियुक्ति की सच्ची प्रति की छायाप्रति।
2. पी0ए0 वाद सं0–111/1957–58 में पारित आदेश की सच्ची प्रति की छायाप्रति।
3. उपायुक्त संथाल परगना दुमका के रे0मि0पी0 वाद सं0–30/1958–59 में पारित आदेश की छायाप्रति।

<u>प्रावधान</u>

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा–6 :–

1. **Sec-6 Landlord to report the death of village headman.** – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

2. Appointment of Pradhan-Non –Khas village-Provisions of Section 6 of the Act attracted-Office is hereditary in nature –Next heir who is fit, is entitled to be the Headman-Sub-Divisional Officer competent to ascertain the views of Jamabandi Raiyats of the village.

3. **Jurisdiction of the Courts and Res judicata in CPC –**

No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties. Or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised. And has been heard and finally decided by such Court.

An issue heard and finally decided by a Court of limited jurisidiction, competent to decide such issue, Shall operate as *res judicata* in a subsequent suit, notwhithstanding that such Court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised.

4. **Res judicata in India :-**

Res judicata is a phrase which has been evolved from a Latin maxim, which stand for **'the thing has been judged'**, meaning there by that the issue before the court has already been decided by another court, between the same parties. Therefore, the court will dismiss the case before it as being useless.

5. पुनः इस Res Judicata के संबंध में यह अधिष्ठापित सिद्धांत है कि Res judicata facit ex albo nigrum, ex nigro album, ex curvo rectum, ex recto curvum.

6. जिसका तात्पर्य है कि :–

Res Judicata has the power to makes what was white, black; what was black, white; what was crooked straight; what was straight, crooked.

(7)

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध तथ्य के आलोक में यह स्पष्ट है कि आवेदक के दावों के संबंध में तत्तकालिन उपायुक्त संथाल परगना दुमका के रे०मि०पी० वाद सं०–30/1958–59 पारित आदेश दिनांक–14.09.59 में आदेश पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में **Res judicata** के सिद्धांत तथा CPC के प्रावधान के अनुसार आवेदक के दावों पर विचार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही धारा–6 के अन्तर्गत पूर्व प्रधान के उत्तराधिकारी को ही प्रधान पद पर नियुक्त करना न्यायोचित है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

5880dt 14/3/22

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:17:00 +05:30
Location: 169.254.227.244